FORM NO. II
फर्द अहकाम
(नियम 26)

2023/189

अज अदालत— राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर (राज0)

अपील संख्या 93 /2023 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान— इशाक वगै0 बनाम कमरू वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	विशेष विवरण
14.12.2023	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना—पत्र व प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम की धारा 5 पर अपीलांट अभिभाषक को एकपक्षीय सुना गया। दौराने बहस अपीलांट अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम धारा 5 पर कथन किया कि, अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। अपीलांट द्वारा पटवारी से जमाबंदी लेने गया तो उक्त स्थगन आदेशों की जानकारी मिलि, उक्त आदेश के संबंध में अपील पेश करने हेतु विधिक सलाह प्राप्त कर बिना किसी देरी के उक्त अपील पेशी की है, अपील में पेश करने में हमने जानबुझकर देरी नहीं की है, जो देरी हुयी है, उसके लिये न्यायहित में क्षमा फरमाया जाये। हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम धारा 5 पर किये गये कथन उचित प्रतीत होने से न्यायहित में धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। इसके उपरांत अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस कर कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 प्रश्नगत आराजी के सहखातेदार काश्तकार है। तहत न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये ही हमे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। रेस्पो0 हमे जबरन उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते है। तहत न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.07.2023 को जारी कर आगामी सुनवाई दिनांक 04.08.2023 नियत की गयी वह आज दिनांक तक निर्णित नहीं हुआ, जो आदेश 39 नियम 3ए के प्रावधानो विपरित है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर

अतः अपील स्वीकार कर तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर मनन किया तथा तहत न्यायालय के आदेशिका दिनांक 19.07.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि तहत न्यायालय द्वारा आर्डर 39 नियम 3ए का पालना नहीं की है। इस प्रावधान के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिवस में किया जाना आवश्यक होता है तथा 30 दिवस में निस्तारण नहीं किये जाने पर कारण अंकित किया जाना आवश्यक है। तहत न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण नहीं किया ना ही अब तक निस्तारण किये जाने का कारण अंकित किया है, जो स्पष्ट रूप से विधि अनुरूप नहीं है। अतः तहत न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के प्रकरण संख्या 15/2023 के बउनवानी कमरू बनाम अलानूर में पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.07.2023 की क्रियान्विति/प्रचलन व प्रभाव स्थगित किया जाता है। प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विधिक प्रावधानों अनुसार 30 दिवस में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र का निस्तारण करना सुनिश्चित करे। अपीलांट तहत न्यायालय में आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.2024 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रतिलिपित आज ही तहत न्यायालय को भिजवायी जाये। पत्रावली फैसल शुमार हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर

उम्मेदीलाल मीना
(आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर